2024/138

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

इंदु चहल बनाम स्टेट व बलजीत सिह

अपील प्रकरण सं0 49 / 2024

अधिवक्ता अपीलार्थी :– सुखदेव सिह अधिवक्ता रेस्पोडेन्टः–

तारीख हुक्म	राजेश [illegible] हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
11.09.2024	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2024 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)	
18.09.2024	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक उप तहसील चुनावढ के वसीयत प्रकरण संख्या 03 / 2024 आदेश दिनांक 16.08.2024 द्वारा चक 8 एलएल के मु.नं. 24,25,32,37,45 में से 1.991 हैक्टर नहरी भूमि मय खाला का इन्तकाल संख्या 853 दिनांक 22.08.2024 बलजीत सिंह चहल पुत्र सरदूल सिंह के नाम से स्वीकृत करने का आदेश दिया गया के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। अपीलार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 14.10.2024 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)	1567-68 18/9/24
14.10.24	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी [illegible] है। पत्रावली दिनांक 04/11/24 को पेश हो।	
04/11/24	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 2 की तरफ से अधिवक्ता प्रदीप मिढ़ा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं। पत्रावली वास्ते रिकॉर्ड तलबी दिनांक 27.11.24 को पेश हो।	

प्रशासनिक

11/06/25 पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश प्रवण पर~~ .... कार्य मे व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभावक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 17/6/25 को पेश हो।

17/6/25 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थिम। अपीलार्थिया ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी अपील श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अपीलार्थीया का अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का पंचायती राजीनामा हो गया है। अपीलार्थिया अब उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। अपीलार्थिया लोक अदालत की भावना प्रेरित होकर उक्त प्रकरण को इसी स्टेज पर दाखिल दफतर करवाना चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थिया अपनी अपील को आज ही नोटप्रेस कर राजीनामा के आधार पर इसी स्तर पर दाखिल दफतर करवाना चाहती है।

फलस्वरूप अपीलार्थिया एवं रेसपोडेन्टस का आपस में पंचायत द्वारा राजीनामा हो जाने के कारण एवं उनके द्वारा उक्त अपील को आगे न चलाकर दाखिल दफ्तर करवाने पर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित नायब तहसीलदार, चूनावढ को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Not Press
Chahal 17/06/25
[illegible] 17/6/25